प्रथम अध्याय

भूमिका

भारत देश और नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले थारु जनजाति के लोग अपनी विशेषसंस्कृति एवं व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों उतराखंड (उधमसिंह नगर), उत्तर प्रदेश (लखीमपुर खीरी, गोरखपुर) से लेकर बिहार के पश्चिमचम्पारणजिला एवं नेपाल के तराई तक फैला हुआ है। थारु जनजाति में कई सारी उपजातियाँ पायी जाती है जैसे – मरंगगिया, कोचीला, रौतार, राजधरिया, खरहर, हलझरिया, राणा, चितवनिया, गढ़वालिया, नवलपरसिया आदि। नेपाल में थारु समुदाय की जनसंख्या लगभग 1737470 है तथा भारत के उत्तर प्रदेश में इसकी जनसंख्या105291 है, उतराखंड में 91342 है तथा बिहार के पश्चिमीचम्पारणमें159939[1]है। यह आकलन 2017 मेंजात के आधार पर किये गए जनगणना में उपलब्ध हैं।

थारु जनजाति की उत्पति एवं इतिहास को लेकर कई सारी मतभेद है। थारु जनजाति का उद्भव का स्रोत कोई मंगोल, कोई पहड़िया, कोई शाक्य ,कोई राणा तो कोई किरात मानता है, परंतु विशुद्ध रूप से सभी का यह मानना है की थारु समुदाय एक जनजाति है तथा ये निःसंदेह रूपसे भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रो में शताब्दियों से रहते आ रहे है।

पश्चिमी चम्पारण के थारु जनजाति पर यह मेंरा लघु शोध प्रबंध थारु जनजाति के इतिहास के साथ -साथ बिहार के सीमावर्तीय प्रदेशीय समुदाय का इतिहास समझने का प्रयास है। थारु एक अनूठी जनजाति रही है जो अपने संस्कृतिक विरासत और उन्नत कृषि कार्य के लिये तथा अपने अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्षशील रही है। भारत सरकार द्वारा पश्चिमी चम्पारण के थारु समुदाय को 'जनजाति' का

[1]ORGI. "A-11 Individual Scheduled Tribe Primary Census Abstract Data and its Appendix". www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar General & Census Commissioner,India. Retrieved 2017-11-20.

दर्जा 8 जनवरी 2003 को दिया गया जो लंबे संघर्षो का परिणाम रहा हैं। पश्चिमी चम्पारण के थारु समुदाय के लोग आज के इस उत्तर आधुनिकता के युग में भी परंपरागत रूप से जंगल एवं प्रकृति के सानिध्यमें जीवन व्यतित करते आ रहें हैं।

थारु जनजाति पश्चिमी चम्पारण के चार प्रखंडों – मैनाटांड़, गौनहा, रामनगर और बगहा 2 में निवास करती है। यदि हम प. चम्पारण थारु जनजातीय निवास स्थल को देखे तो यह कोई विशाल भू भाग पर नहीं बसा है। जिले का कुल क्षेत्र फल 5228 वर्ग किलो मीटर है, जिसमें ठरूहट(थारु निवास स्थल) करीब 1500 वर्ग किलो मीटर भू-भाग पर अवस्थित है। इसमें भी 840 वर्ग किलो मीटर जंगल है। 1990 के पश्चात इस वन क्षेत्र में'वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना'[2] लागू कर दिया गया तब से थारु समुदाय पर अनेकानेक पाबंदिया लगा दिया गया।

मानव विज्ञानियों एवं समाजशास्त्रीयों के द्वारा थारु समाज पर बहुत सारे काम किये गए है लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते है तो पाते है कि हमारे पास कोई वैज्ञानिक सामाग्री नहीं है जिसके आधार पर हम इनके इतिहास को एक आधार प्रदान कर सके तथा एक निष्कर्ष पर पाहुंचाजा सके।

प्रस्तुत लघु शोध इसी कड़ी में की गई एक प्रयास है जो थारु जनजाति के इतिहास को और थारु जनजाति को एक आधार प्रदान करता है। जिसमें थारु समाज के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहलुओ को इस तरह रखने का प्रयास किया गया है की जिसके आधार पर इस अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान किया जा सके साथ ही साथ उन सभी पक्षो को उजागर किया गया है जो थारु समाज को 'जनजाति' सिद्ध करती है।

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Valmiki_National_Park